डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री इमरान खॉन पुत्र अब्दुल रहमान एफ.बी.ओ. मैसर्स मिलन ज्यूस, फ्रूट एण्ड आईसक्रीम सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक निवासी पुरानी पानी की टंकी के पास वार्ड नं0 11 मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड—304502

.......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 31 की उपधारा (1) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी अनुपस्थित।

:—निर्णय—: दिनांक 28/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.12.2020 को समय दोपहर 01:49 पी.एम. पर मैसर्स मिलन ज्यूस, फ्रूट एण्ड आईसक्रीम सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री इमरान खॉन पुत्र अब्दुल रहमान अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मिलन ज्यूस, फ्रूट एण्ड आईसक्रीम सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ आईसक्रीम, व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री इमरान खॉन पुत्र अब्दुल रहमान को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री इमरान खॉन पुत्र अब्दुल रहमान ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया जिसकी वैधता दिनांक 01.11.2020 तक थी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री इमरान खॉन की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में बिस्किट, ज्यूस, आईसक्रीम, कन्फैक्शनरी खाद्य पदार्थ अलग—अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **बिस्किट बेकरी सोरटनिंग कूकिज क्यूट ब्रण्ड (Biscuits Bakery Shortening Cookies, Qoot Brand)** रखा हुआ था। **बिस्किट ब्रेकरी सोरटनिंग कूकिज क्यूट ब्रण्ड (Biscuits Bakery Shortening Cookies, Qoot Brand)** 400—400 ग्राम के 11 नग मूल पैक वास्ते आम जनता के रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री इमरान खॉन पुत्र अब्दुल रहमान को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री इमरान खॉन पुत्र अब्दुल रहमान व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बिस्किट ब्रेकरी सोरटनिंग कूकिज क्यूट ब्राण्ड (Biscuits Bakery Shortening Cookies, Qoot Brand)** 1600 ग्राम के 400 ग्राम के बराबर–बराबर (एक भाग 400 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्तें के डिब्बों में ज्यों का त्यों, नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिए चयार लेबल तैयार कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2597 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2597 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता इमरान खॉन पुत्र अब्दुल रहमान एफ.बी.ओ. मैसर्स मिलन ज्यूस, फ्रूट एण्ड आईसक्रीम सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नही किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4430 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./2339/एक्ट/2020/2216 दिनांक 16.12.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **बिस्किट ब्रेकरी सोरटनिंग कूकिज क्यूट ब्राण्ड (Biscuits Bakery Shortening Cookies, Qoot Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को बार–बार नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **बिस्किट ब्रेकरी सोरटनिंग कूकिज क्यूट ब्रण्ड (Biscuits Bakery Shortening Cookies, Qoot Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **बिस्किट ब्रेकरी सोरटनिंग कूकिज क्यूट ब्रण्ड (Biscuits Bakery Shortening Cookies, Qoot Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हो। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक